

B. Ed. Fees.

संख्या-363 / सत्तर-7-2019-बी0एड0(16) / 2011

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज

2- कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2019

विषय- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम शिक्षण सत्र 2019-20 के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर-6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या-1561/सालह-1-2008-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुरार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-ए-5 (डब्ल्यू-4A)/2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 20-08-2019 को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई।

2- समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या-बी0एड0-09/सत्तर-3-2014-बी0एड0(16)/2011 दिनांक 29 जनवरी, 2015 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष के लिए रू0 30,000/- पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारित किया जाने पर सम्यक विचार किया गया। प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु इस वर्ष बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा आयोजित करने जाने के फलस्वरूप वर्तमान सत्र हेतु उपलब्ध बी0एड0 पाठ्यक्रम में कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटें एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार किया गया। इस तथ्य को छात्र-छात्राओं में बी0एड0 के प्रति अभिरुचि/मांग को कम होने का द्योतक पाते हुए सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र 2019-20 हेतु शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा पूर्व की भांति बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0 30,000/- निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(Handwritten Signature)

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव।

142
3/9/19



डी० एल० एड० (पूर्व प्रवर्तित नाम बी टी सी) प्रशिक्षण
परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

Dear Students,

There are many complaints coming from students of UP DELED Program 2017 of self financed colleges (Private colleges), that the illegal money is collected by colleges in the name of study kit or security excess money over the program fee. This is informed you to all that program fee is –

10500/- for DIET students & 41000/- for self financed colleges

This is final amount for 1st year student of UP DELED Program 2017. Any other fee collected by Colleges are illegal for such situation students can complain to 3 places by sending letter to respective authorities with/without putting their names-

- 1) DIET Principal of your district
- 2) DM of your District
- 3) Basic Education Officer Allahabad (Address -Basic Education Board, 9, Sarojini Naidu Marg, Allahabad Uttar Pradesh- 211001)

If colleges are found guilty strong action is taken against the colleges either course is banned from next session or fined.

UP Education board is always presented for welfare of students, spread this news to all your fellow friends.

Wishing you All the best for your bright future.

Secretary, Examination Regulatory Authority